HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 15878/2024

Aspak @ Chuchu S/o Kurshid, Aged About 29 Years, R/o Village Tilakpuri, Police Station Pahari, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Sharma, Adv. for Mr. Ankit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Add. GA CUM PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/12/2024

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र **बी.एन.एस.एस. की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **सीकरी जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**377/23** अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 307, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर

खारिज हुए थे। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत पर जानलेवा हमला कारित करने का आरोप है

पूर्व में दो जमानत आवेदन खारिज होने के पश्चात अभियुक्त छह माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। आहत/परिवादी पी.डब्ल्यू–6 के रूप में विचारण न्यायालय में परिक्षित हो चुका है जो पक्षद्रोही रहा है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **असपाक उर्फ चुचु पुत्र कुर्शीद** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत

तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /56